

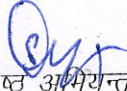
प्रतिवेदन/औचित्य एवं आवश्यकता

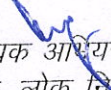
परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख से अम्बेडकर ग्राम गैरा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (वास्त. लम्बाई 2.50 कि.मी.) (1.68 है०)

उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति शासनादेश सं. 2615/III(2)/16-03(मु.म.घो.)/2015 दिनांक 13.10.2016 के द्वारा 2.50 किमी. लम्बाई हेतु ₹ 23.03 लाख मात्र के लिए प्राप्त हुई है। मार्ग निर्माण से ग्राम गैरा के ग्रामीणों को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी। इस मोटर मार्ग के निर्माण की मांग क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। इस मार्ग के बनने से स्थानीय कास्तकारों द्वारा अपने खेतों में उगाई फसल, फल, सब्जी आदि को बाजार में विपणन हेतु सुविधा होगी, जिससे स्थानीय जनता को रोजगार प्राप्त होगा व पलायन की कमी के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखण पर मोटर मार्ग की वास्तविक लम्बाई 2.50 कि.मी. है। प्रस्तावित समरेखण में 1.68 है० आरक्षित वन भूमि, शून्य है० वन पंचायत भूमि तथा शून्य है० सिविल बेनाप सहित कुल 1.680 है० वन भूमि प्रभावित होती है। इस हेतु कुल 1.680 है० वनभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है।

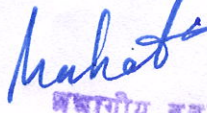

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


वन क्षेत्राधिकारी
रानीखेत रेंज,
अल्मोड़ा वन प्रभाग


उप प्रभारी वनाधिकारी
रानीखेत


अधीनस्थ वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा